प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 01 मार्च, 2016**

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-मुरादाबाद के बिलारी की आई०टी०आई० में आवश्यक मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर आदि हेतु **अवशेष द्वितीय किश्त** की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(12)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 14.03.2012 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-2281/52-1-2013-13(एम०एस०डी०पी०)/11, दिनांक 10 जून, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **यू०पी०प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन, लि०, लखनऊ** को प्रश्नगत आई0टी0आई0 भवन के निर्माण हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 90.00 लाख अवमुक्त किया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(12)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 26.09.2015 से जनपद-मुरादाबाद के उक्त कार्य हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 180.00 लाख के सापेक्ष अवशेष **द्वितीय किश्त** के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 90,00,000/-(रू0 नब्बे लाख मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित बजट रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0 3568.50 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रू० लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के0+रा0)	अवमुक्त **द्वितीय किश्त**		अवमुक्त कुल धनराशि (के0/रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुरादाबाद	बिलारी की आई०टी० आई० में आवश्यक मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर आदि हेत	-	-	180.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00
		योग	**-**	**-**	**180.00**	**0.00**	**90.00**	**90.00**	**0.00**	**90.00**

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा।

Unicode ITI G.O

Shasanadesh.up.nic.in

2- अवमुक्त धनराशि से बिलारी की आई०टी०आई० में आवश्यक मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर आदि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से शासनादेश संख्या-जी०आई० 170/52-।-14-01(78)/13 में निर्धारित व्यवस्थानुसार **निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ** को हस्तान्तरित की जायेगी। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष गुणवत्ता सहित निर्माण कार्य 03 माह में पूरा कर लिया जायेगा। कार्य को कुल अनुमोदित धनराशि से ही पूर्ण किया जाना है। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। उपकरणों के क्रय में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे कार्यदायी संस्था द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। बिलारी की आई०टी०आई० में आवश्यक मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर आदि का मानक एवं डिजाइन वही होगी, जो केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित है।

7- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- उपकरणों के क्रय के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

Shasanadesh.up.nic.in

9- जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर बिलारी की आई०टी०आई० में आवश्यक मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर आदि की गुणवत्ता की जाँच करायी जायेगी, ताकि उपकरणों का क्रय अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण हों। अवमुक्त धनराशि के व्यय का उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, कार्य के फोटोग्राफ्स की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र एवं उक्त अन्य अभिलेख दो-दो प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

10- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत आई०टी०आई० पर एक स्थायी बोर्ड भी बनवाया जायेगा जिस पर योजना के स्वीकृति की तिथि, वित्तीय स्रोत, योजना की लागत, कार्य पूर्ण होने तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि अंकित होगी।

11- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृथक लेखा अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा। परियोजना के पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य से सम्बन्धित सम्परीक्षित लेखे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण,उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे ।

12- उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से उपकरणों के क्रय की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

13- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0105-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण (के0 100/रा0 0-के0)-24-वृहद निर्माण कार्य** के नामें डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या- 199 (1)/बावन-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

Unicode ITI G.O

Shrawanadesh.up.nic.in

4- सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया जनपद-मुरादाबाद के बिलारी की आई०टी०आई० में आवश्यक मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर आदि का मानकानुसार उपयोग/व्यवस्थापन सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से भी कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्यों के लिए किसी दूसरी मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।

6- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 रोजगार भवन, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ।

7- निदेशक, **प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि जनपद-मुरादाबाद के बिलारी की आई०टी०आई० में आवश्यक मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर आदि का क्रय केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

8- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत बिलारी की आई०टी०आई० में आवश्यक मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर आदि की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति को वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

13- वित्त(आय-व्ययक)अनु0-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
उप सचिव।

Shasanadesh.up.nic.in